कार्यालय
वन मण्डल विदिशा

ई–मेल. dfotvidisha@mp.gov.in, दूरभाष– 07592- 232967, फैक्स– 236976

क्रमांक / मा0चि0 / 437   विदिशा, दिनांक 4 / 03 / 2024

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग संभाग विदिशा,

विषयः– विदिशा जिलें में लौहर्रा से झिरिया मंदिर तक मार्ग के निर्माण / उन्नयन हेतु 2.280 हेक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग,विदिशा को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भ :–1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्र0 / 6–एमपीबी 027 / 2022–बीएचओ / दिनांक 19 / 02 / 2024 ।

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(भू–प्रबंध) भोपाल का पत्र क्र. / एफ–5 / 1145 / 2021 / 10–11 / 1188 दिनांक 21 / 02 / 2024 ।

—oo—

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक / 6–एमपीबी 027 / 2022–बीएचओ दिनांक 19 / 02 / 2024 से वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–2 के तहत प्रथम चरण की सैद्वातिक सहमति(ए–1से 13 तथा बी–1 से 16 तथा पैरा से) प्राप्त हुयी है जिसके अनुसार :–

अधिरोपित शर्त क्रमांक ए–1 के तहत 11 वर्षीय क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु परिक्षेत्र ग्यारसपुर अंतर्गत तहसील ग्यारसपुर के ग्राम दौलतपुर के खसरा क्रमांक 62 / 2 एवं 62 / 3 रकबा 2.280 हे0 में से वनविभाग को आवंटित / हस्तांतरित की गयी 2.280 हेक्टेयर गैर वनभूमि पर क्षतिपूति वनीकरण हेतु 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु **संशोधित राशि रूपये 20,41,694 / –(बीस लाख इकतालीस हजार छह सौ चौरनवे)**की राशि का भुगतान ऑनलाईन भारत सरकार,पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ई पोर्टल फारेस्ट क्लियरेन्स की वेवसाईट (https;//parivesh. nic.in/) पर केम्पा मद में ही किया जाना है।

शर्त क्रमांक ए–3 में प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत आरक्षित अथवा संरक्षित वन घोषित करने की अधिसूचना के प्रारूप में वन परिक्षेत्र अधिकारी ग्यारसपुर को आवश्यक सहयोग करे ताकि अधिसूचना का प्रारूप अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन भू–अभिलेख)भोपाल को पालन प्रतिवेदन के साथ प्रेषित किया जा सके।

शर्त क्रमांक ए–4 के अनुसार नेट प्रेजेन्ट वेल्यू की राशि म.प्र.शासन वन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 12 सितम्बर 2008 तथा भारत सरकार,पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय(वन संरक्षण प्रभाग)नई दिल्ली के पत्र दिनांक 06 / 01 / 2022 के **अनुसार रूपये 29,47,698 / –(उनतीस लाख सैतालीस हजार छह सौ अनठानवे रूपयें मात्र)** की राशि का भुगतान ऑनलाईन भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ई पोर्टल फारेस्ट क्लियरेन्स की वेवसाईट (https;//parivesh.nic.in/) पर केम्पा मद में ही किया जाना है।

शर्त क्रमांक ए–6 के अनुसार वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अधिकारों के विनिश्चय की कार्यवाही पूर्ण होने संबंधी निर्धारित प्रारूप पत्र (FRA)कलेक्टर विदिशा द्वारा जारी प्रमाण पत्र देवे।

समस्त अधिरोपित शर्तो का शर्तवार पालन प्रतिवेदन टेबूलर फार्म में 4 प्रतियो में सील हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करे।साथ ही पालन प्रतिवेदन ई पोर्टल (https;//parivesh.nic.in/) पर अपलोड करे। वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि एवं नेट प्रेजेन्ट वेल्यू की राशि कैम्पा मद मे जमा की राशि की छायाप्रति सील हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अवश्य देवे।

G/C

वन मंडलाधिकारी,
सामान्य वन मण्डल,विदिशा

पृ0 क्रमांक / मा0चि0 / 438   विदिशा, दिनांक 4 / 03 / 2024

प्रतिलिपि :–1 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू0प्र0) म0प्र0 भोपाल की ओर आपके पत्र / क्रमांक / एफ–5 / 1145 / 2022 / 10 –11 / 1188 दिनांक 21 / 02 / 2024 के संदर्भ में सूचनार्थ संप्रेषित।

2 मुख्य वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3 उप वनमंडल अधिकारी विदिशा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4 वन परिक्षेत्र अधिकारी ग्यारसपुर की ओर लेख है जब तक प्रकरण में भारत सरकार की अंतिम चरण की स्वीकृति जारी नही की जाती तब तक आवेदक संस्थान को कोई कार्य प्रारंभ न करे इसका विशेष ध्यान रखे एवं अधिसूचना का प्रारूप शीघ्र तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित करे जिसे पालन प्रतिवेदन के साथ वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया जा सके।

वन मंडलाधिकारी,
सामान्य वन मण्डल,विदिशा

Scanned with OKEN Scanner

नेट प्रेजेन्ट वेल्यू की राशि का गणना पत्रक

विदिशा वनमंडल के वन परिक्षेत्र ग्यारसपुर के कक्ष क्रमांक आर एफ–86 एवं आर एफ 87 में लोहर्रा से झिरिया मंदिर तक मार्ग के निर्माण/उन्नयन में वनमंडल विदिशा की प्रभावित 2.280 हेक्टेयर वनभूमि की नेट प्रजेन्ट वेल्यू मध्य प्रदेश शासन वन विभाग मंत्रालय भोपाल दिनांक 12.09.2008 तथा भारत सरकार, पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय(वन संरक्षण प्रभाग),नई दिल्ली के पत्र दिनांक 06/01/2022 के आदेशानुसारः–

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित कक्ष का नाम	प्रभावित क्षेत्र हे0 में	कक्ष में मौजूद साईट क्वालिटी	घनत्व	शासन द्वारा निर्धारित नेट प्रेजेन्ट वेल्यू की राशि (लाख रू.मे)	वसूली योग्य राशि (लाख रू.मे) 4X7
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ग्यारसपुर	RF-86	1.716	v	0.6	1292850	2218530.60
2		RF-87	0.564	v	0.6	1292850	729167.40
	योग	2	**2.280**	v	0.6	1292850	**2947698**

29,47,698/–(उनतीस लाख सैतालिस हजार छह सौ अनठानवे रूपये मात्र)

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल, विदिशा

Scanned with OKEN Scanner